<u>महत्वपूर्ण परिपत्र</u>

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009.

सं. प्रशा/।।/एम.टी.एस.-लिपिक/अक्तूबर/2016/जि-। दिनांक : 01.06.2016

सेवा में,
सभी अधीनस्थ कार्यालय
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

विषय : शैक्षणिक रूप से योग्यता प्राप्त एम.टी.एस. की लिपिक के ग्रेड को प्रोन्नति के लिए परीक्षा ।

संदर्भ : मुख्यालय कार्यालय का दिनांक 31.05.2016 का अति महत्वपूर्ण पत्रांक AN/SAS/16502/MTS-CLK/OCT/2016/PROG.

*****

मुख्यालय कार्यालय ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक रूप से योग्यता प्राप्त एम.टी.एस. की लिपिक के ग्रेड को प्रोन्नति के लिए निम्नांकित सारणी के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :-

दिनांक	**समय**	**परीक्षा का विवरण**	**पूर्णांक**	**उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को कुल कितने अंक प्राप्त करने होंगे सामान्य श्रेणी**	**अनु.जाति/जनजाति**
17.10.2016 (सोमवार)	प्रात: 10.00 बजे से 12.00 बजे तक	सामान्य अंग्रेज़ी/सामान्य हिंदी (i) पत्र लेखन/निबंध = 50 अंक (ii) श्रुतलेखन = 30 अंक (iii) व्याकरण* = 20 अंक	100	40	35
		टंकण परीक्षा ** (अंग्रेज़ी/हिंदी) = 50 अंक			

नोट :

* व्याकरण में (क) सरल वाक्यों को शुद्ध करो; (ख) रिक्त स्थान भरो जिसमें कारक शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना होगा ; (ग) समानार्थक/विपरितार्थक शब्द होंगे ।

** टंकण परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । टंकण परीक्षा की गति परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम्प्यूटर पर अंग्रेज़ी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा (35 शब्द प्रति मिनट अर्थात् 10500 KDPH और 30 शब्द प्रति मिनट अर्थात् 9000 KDPH जिसमें प्रति शब्द में औसत रूप से 5 कुंजी अवदाब होंगे)

इस संगठन के अधीन सेवारत उम्मीदवारों के लिए दिनांक **31 अक्तूबर, 2016** के अंदर आंतरिक रूप से टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो लिपिक/टंकक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता है ।

2. परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक है :

(i) श्रेणी 'ग' कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन रु. 1800/- है और जिन्होंने 12 वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और दिनांक 01.10.2016 को वर्तमान ग्रेड में 3 वर्षों की निरंतर सेवा अर्जित की हो ।

(ii) उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50 वर्ष है)

2.1 भर्ती नियमों के प्रावधानों और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रोन्नतियों को जारी किया जाएगा । **<u>आगे , परीक्षा में बैठने के लिए उच्चतम आयु सीमा/शैक्षिक योग्यता में छूट से संबंधित किसी भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।</u>**

3. परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण निम्नानुसार है :

(i) हिंदी/अंग्रेज़ी लघु-निबंध (10+2 स्तर)

(ii) पत्र-लेखन (हिंदी/अंग्रेज़ी) (10+2 स्तर)

(iii) श्रुतलेखन (हिंदी/अंग्रेज़ी) (10+2 स्तर)

(iv) व्याकरण (10+2 स्तर)

(v) टंकण परीक्षा - टंकण परीक्षा की गति परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम्प्यूटर पर अंग्रेज़ी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा (35 शब्द प्रति मिनट अर्थात् 10500 KDPH और 30शब्द प्रति मिनट अर्थात् 9000 KDPH जिसमें प्रति शब्द में औसत रूप से 5 कुंजी अवदाब होंगे)

3.1 उम्मीदवारों को अंग्रेज़ी अथवा हिंदी (देवानगरी लिपि में) प्रश्न पत्र का उत्तर देने का विकल्प है । तथापि प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में होगा ।

<u>नोट</u> : (क) प्रोफार्मा के कॉलम 11 में अंग्रेज़ी अथवा हिंदी (देवनागरी लिपि में) उत्तर देने के विकल्प का उल्लेख किया जाना चाहिए, अन्यथा यही माना जाएगा कि अंग्रेज़ी में उत्तर देने का विकल्प दिया गया है ।

(ख) एक बार प्रयुक्त विकल्प को अंतिम माना जाएगा और विकल्प में परिवर्तन की किसी भी प्रार्थना को सामान्यत: स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ग) उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दिए गए विकल्प के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर दिए जाने पर शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे । आगे, यदि उत्तर पुस्तिका का कुछ अंश एक भाषा में होगा और शेष दूसरी भाषा में होगा तो ऐसी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन **नहीं किया जाएगा** और **शून्य अंक** प्रदान किए जाएंगे ।

3.2 **इस संगठन के अधीन सेवारत उम्मीदवारों के लिए र.ले.नि., सिकंदराबाद द्वारा आंतरिक रूप से टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । इस टंकण परीक्षा के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया जाएगा ।**

4. सामाजिक न्याय एवं सशक्तता मंत्रालय, अशक्तता मामला विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 26.02.2013 के का.ज्ञा. सं. 16-110/2003/DD III के दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों का विवरण भेजें । यदि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को लेखक/समय की छूट आदि की सुविधा की आवश्यकता हो तो उम्मीदवार का आवेदन कार्यालयाध्यक्ष की सिफारिश और आवश्यक चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ मुख्यालय कार्यालय के विचारार्थ भेजा जाए । इस संबंध में मुख्य कार्यालय के दिनांक 12.08.2013 के परिपत्र सं. AN/SAS/16100/PH/Guidelines का अवलोकन करें ।

5. योग्यता प्राप्त करने वाली परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के स्तर में छूट के संबंध में भारत सरकार, कैबनेट सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 21.01.1977 के का.ज्ञा. सं. F 36021/10/76-Estt. (SCT) में निहित अनुदेशों के अनुसरण में जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.07.1997 के का.ज्ञा. सं. 36012/23/96-Estt(Res) के अधीन हटा दिया गया और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.10.2000 के का.ज्ञा. सं. 36012/23/96-Estt (Res) Vol.II के अधीन पुन: लागू किया गया, के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक रूप से योग्यता प्राप्त एम.टी.एस. की लिपिक के ग्रेड को प्रोन्नति के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के स्तर में छूट प्रदान किया जाएगा और पूर्णयोग में अधिकतम 5 अंकों की छूट प्रदान की जाएगी अर्थात् सामान्य श्रेणी के लिए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 40 होंगे जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 35 होंगे। इस तथ्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाए ।

5.1 जो उम्मीदवार आरक्षित समुदाय के हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपनी जाति का विवरण देना होगा ।

5.2 **सभी अधीनस्थ कार्यालय/अनुभाग अपेक्षित सूचना /दस्तावेज़ निर्धारित तारीख अर्थात दिनांक 15.06.2016 तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें ।**

कुछ समय से यह देखा गया है कि कुछ कार्यालय निर्धारित तारीख तक उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । कुछ मामलों में उम्मीदवारों के नाम किश्तों में बिल्कुल अंतिम समय पर भेजे जाते हैं जिससे पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय नहीं होता । जो उम्मीदवार सभी पात्रताओ को पूरा करते हैं और परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके नाम कार्यालयाध्यक्ष की सिफारिश के साथ इस कार्यालय को निर्धारित तारीख अर्थात् **15.06.2016** तक भेजे जाएँ । संबंधित व्यक्तियों से यह नोट करवाया जाए कि निर्धारित तारीख अर्थात् दिनांक **15.06.2016** के बाद प्राप्त नामों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

शून्य रिपोर्ट भी भेजना अनिवार्य है ।

कृपया पावती दें ।

हस्ता/-
(बी. बाल जवाहर)
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशा)